



सत्यमेव जयते



Ministry of Environment, Forest and Climate Change

F. No.: 9-HRB129/2022-CHA



Dated: July, 2023

सेवामें

नोडल ऑफिसर एवं अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.),  
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
C- 18, वनभवन, सेक्टर-6,  
पंचकुला, हरियाणा |

**विषय:** Diversion of 0.1785 ha of forest land for access permission for transportation of Mining area at vil. Khanak under Forest Division and District Bhiwani, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Approach/146575/2021)

**सन्दर्भः: i).** अति.प्र.मु.व.स (FCA), हरियाणा के पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-10371/767 दिनांक 19.06.2023

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.1785 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. इस प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार द्वारा 19.6.2023 को भेजे गए पत्र के माध्यम से प्राप्त सूचना का अवलोकन करने के उपरांत यह पाया गया है कि इस प्रस्ताव की पूर्णता हेतु अभी भी कई सारी सूचनाएं अपूर्ण/अप्राप्त हैं। अतः आपके द्वारा भेज गया जवाब स्वीकार नहीं किया जा सकता है। **(reply not accepted-RNA)**.

3. अतः, प्रस्ताव से सम्बंधित निम्नलिखित जानकारी पुनः भेजने का कष्ट करे:-

i. The User agency is involved in violation and still using the forest land without FC clearance. This is a violation of FCA, 1980 case, no action has been initiated/taken by the State Government against the concerned official. Hence, the State Govt will initiate disciplinary action against official concerned as per provision of 1.21 (ii)c and will prosecute the User agency for violation under local act of the State for unauthorized use of forest land without the permission of the State Authority as per 1.21 (ii)d of the Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines and clarifications), 2019 of MoEF&CC. A report for action taken needs to be submitted.

4. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करे जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

-sd-

(राजा राम सिंह)

उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

IRO, MoEF&amp;CC, Chandigarh

प्रतिलिपि

1. The Divisional Forest Officer, Forest Division & District Bhiwani, Haryana.  
(dfo.bhwhry@nic.in)

9-HBB129/2022-CHA  
2. Sh. Anil Kumar, SDO, HSHDE STONE MINES, KHANAK, Haryana.  
(hsiidckhanak2021@gmail.com)

I/49282/2023